न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 343
दायरा तिथि : 08.09.2022
आदेश तिथि : 30-08-2024
प्रार्थी :–

श्री सुरेश कुमार पुत्र कपूरराम जाति हीरागर निवासी बिसलपुर, तहसील बाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. अचलाराम पुत्र मोटाराम
2. अन्सीबाई पुत्री मोटाराम
3. मोहरीबाई पुत्री मोटाराम
4. लीलाबाई पुत्री मोटाराम
5. गणेशराम पुत्र भबूताराम
6. रामू पत्नि भबूताराम
7. छगनी पुत्री भबूताराम
8. लीला पुत्री भबूताराम जातिगण कुम्हार निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 30-08-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 693 रकबा 1.2500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नबर 691 रकबा 0.5100 हैक्टर व खसरा नंबर 690 रकबा 0.1500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2023 / 3961 दिनांक 06.02.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 693 रकबा 1.25 हैक्टर की भूमि प्रार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र कपूरराम जाति हीरागर निवासी बिसलपुर (राहिन पुर्ण खाता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिसलपुर) से खातेदारी भूमि दर्ज है। उपरोक्त खातेदार सुरेश कुमार को नजदीकी रास्ता खसरा नंबर 690 व 691 में से दिया जाना उचित है।
2. यह कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 690 रकबा 0.15 हैक्टर की भूमि खातेदार गणेशराम पुत्र भबूताराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार, छगनी पुत्री भबूताराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार, रामू पत्नि भबूताराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार, लीलाबाई पुत्री मोटाराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 691 रकबा 0.51 हैक्टर में खातेदार अचलाराम पुत्र मोटाराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार, अंसीबाई पुत्री मोटाराम हिस्सा 1/4, मुलीबाई उर्फ मोहरी बाई पुत्री मोटाराम जाति कुम्हार हिस्सा 1/4, व लीला बाई पुत्री मोटाराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार, के नाम से राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है।
3. यह है कि ग्राम बिसलपुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	690	0.15 हैक्टर	बारानी दोयम	6X25=150 वर्गमीटर	गणेशराम पुत्र भबूताराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार वगैरा
2	691	0.51 हैक्टर	बारानी दोयम	6X75=450 वर्गमीटर	अचलाराम पुत्र मोटाराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार वगैरा

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/343
अनवान सुरेश कुमार बनाम अचलाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी. दर 2,81,806 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 693 रकबा 1.2500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/3961 दिनांक 06.02.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 693 रकबा 1.2500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 691 रकबा 0.5100 हैक्टर व खसरा नंबर 690 रकबा 0.1500 हैक्टर में से **150+450=600 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 281806/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
690	0.15 हैक्टर	6X25=150 वर्गमीटर	29	4350x2= 8700	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
691	0.51 हैक्टर	6X75=450 वर्गमीटर	29	13050x2= 26100	वर्तमान जमाबंदी अनुसार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 34800/– (अक्षरे चौतीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/1123-27
दिनांक : 30-08-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री सुरेश कुमार पुत्र कपूरराम जाति हीरागर निवासी बिसलपुर, तहसील बाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

CamScanner

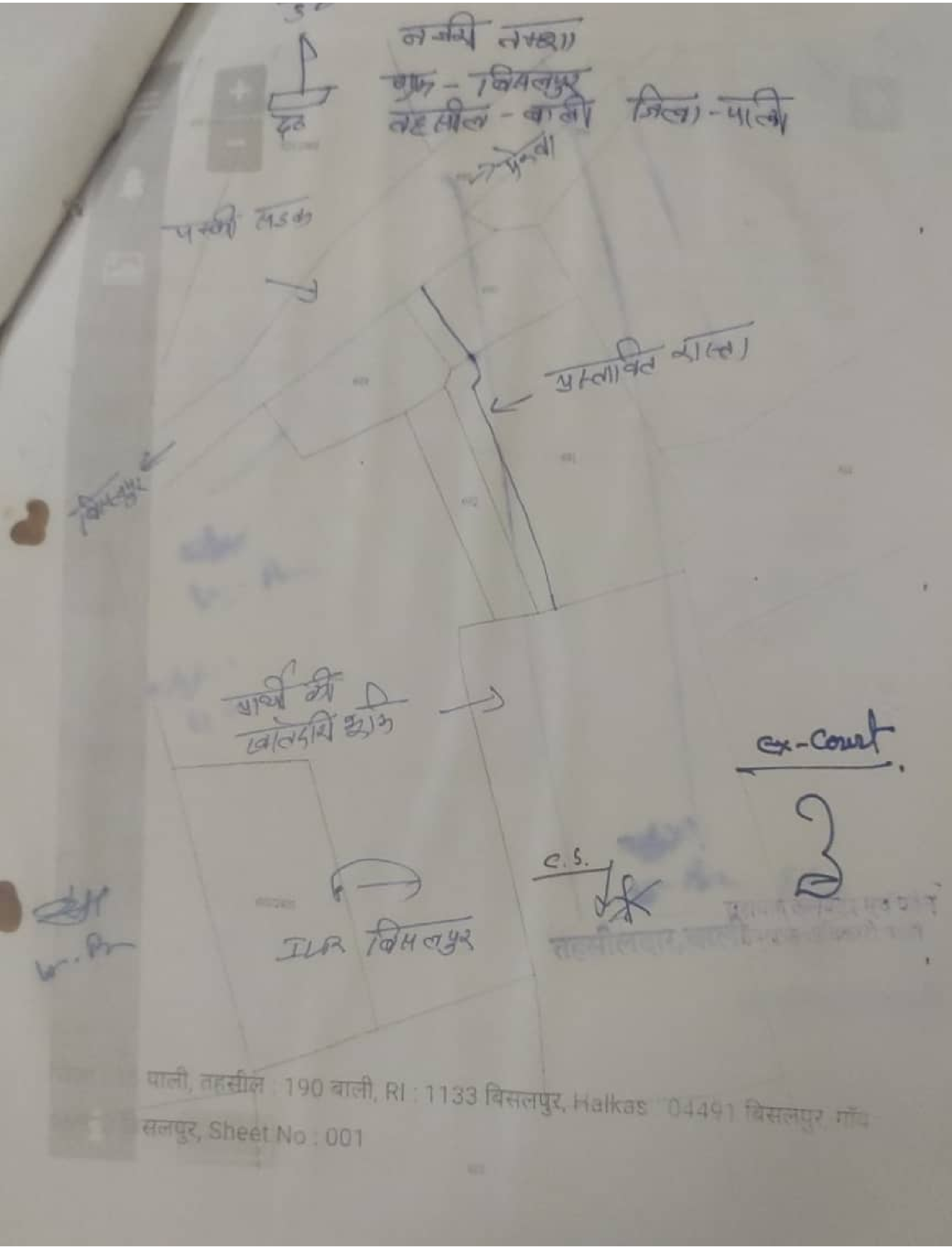

नजरी नक्शा
ग्राम - बिसलपुर
तहसील - बाली जिला - पाली
पक्की सड़क
प्रस्तावित रास्ता
बिसलपुर
प्रार्थी की खातेदारी भूमि
ex-Court
C.S.
ILR बिसलपुर
पाली, तहसील : 190 बाली, RI : 1133 बिसलपुर, Halkas : 04491 बिसलपुर, गाँव
सलपुर, Sheet No : 001

CamScanner